रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 2012/फाल्गुन 16, 1933
No. 59] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 2012/PHALGUNA 16, 1933

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2012

फा. सं. एल-1(1)/2011-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 79 (1) (ग) के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा संबंधित विषय) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया), का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा संबंधित विषय) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन.—

मूल विनियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. अननुसूचित विनियम (यूआई) प्रभार :

(1) सभी समय ब्लाकों के लिए अननुसूचित विनिमय प्रभार क्रेता या फायदग्राहियों द्वारा अधिक निकासी तथा उत्पादन केन्द्र या विक्रेता द्वारा कम अंत:क्षेपण इंजेक्शन तथा क्रेता या फायदाग्राही द्वारा कम निकासी के लिए प्राप्य तथा उत्पादन केन्द्र या विक्रेता द्वारा अधिक अंत:क्षेपण के लिए संदेय होंगे तथा इस विनियम के खंड (2) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार इन विनियमों की अनुसूची "क" में विनिर्दिष्ट दरों पर समय ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी पर तय किए जाएंगे :

परंतु यह कि ईंधन के रूप में कोयला या लिग्नाइट या प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) का उपयोग करने वाले उत्पादन केन्द्रों के लिए अननुसूचित विनिमय प्रभार, जब वास्तविक उत्पादन अननुसूचित उत्पादन से उच्चतर या कम हो, इस विनियम के खंड (3) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार इन विनियमों की अनुसूची "क" में यथा विनिर्दिष्ट कैप दर से अधिक नहीं होंगे :

परंतु यह और कि हाइड्रो उत्पादन केन्द्र से भिन्न ऐसे उत्पादन केन्द्र, जिनकी समय-ब्लाक में स्टेशन की घोषित क्षमता के 105% से अधिक या संपूर्ण दिन की औसत घोषित क्षमता के 101% से अधिक है, द्वारा अंतःक्षेपण के लिए अननुसूचित विनिमय हेतु प्रभार इन विनियमों की अनुसूची क में यथाविनिर्दिष्ट कैप दर से अधिक नहीं होंगेः

परंतु यह भी कि ऐसे विक्रेता या फायदाग्राही जो एक समय ब्लाक में अनुसूची के 10% से अधिक या 250 मेगावाट जो भी कम हो, द्वारा कम निकासी के लिए अननुसूचित विनिमय प्रभार इस विनिमय के खंड (4) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार इन विनियमों की अनुसूची "क" में यथाविनिर्दिष्ट कैप दर से अधिक नहीं होंगेः

परंतु यह भी कि किसी समय ब्लाक में केन्द्र की संस्थापित क्षमता के 105% या संपूर्ण दिन की संस्थापित क्षमता के 101% के तत्स्थानी एम्स-बस उत्पादन की सीमा के अधीन रहते हुए, अनुसूची के 120% से अधिक क्रेता द्वारा अंतःक्षेपण के लिए अननुसूचित विनिमय प्रभार इस विनियम के खंड (5) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार, इस विनियमों की अनुसूची क में यथा विनिर्दिष्ट कैप दर से अधिक नहीं होंगेः

परंतु यह भी कि किसी समय ब्लाक में केन्द्र की संस्थापित क्षमता के 105% या संपूर्ण दिन की संस्थापित क्षमता के 101% के तत्स्थानी एक्स-बस उत्पादन से अधिक विक्रेता द्वारा अतःक्षेपण के लिए अननुसूचित विनिमय प्रभार इन विनियमों की अनुसूची "क" में यथाविनिर्दिष्ट कैप दर से अधिक होंगे।

(2) अननुसूचित विनिमय प्रभार का अवधारण निम्नलिखित पद्धति के अनुसार किया जाएगाः

(क) 50.2 एचजेड और उससे ऊपर की ग्रिड फ्रिक्वेंसी पर अननुसूचित विनिमय प्रभार शून्य होगा।

(ख) '50.02 एचजेड से निम्न' और '50.5 एचजेड से अन्यून' की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल के तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय प्रभार अगस्त 2010 से जनवरी 2011 की छह मास की अवधि के लिए कोयला/लिग्नाइट आधारित उत्पादन केन्द्रों के औसत ऊर्जा प्रभार के मध्य मूल्य के आधार पर होंगे तथा यू-आई कीमत विक्टर पर विनिश्चित करने के लिए समुचित रूप से उनका समायोजन किया जाएगा।

(ग) यूआई कीमत विक्टर तद्नुसार, 50.2 एचजेड तथा 50.02 एचजेड से निम्न और 50.0 एचजेड से अन्यून के बीच 0.02 एचजेड के फ्रिक्वेंसी अंतराल के लिए स्टेप में होगा।

(घ) 49.82 एचजेड से निम्न तथा 49.80 एचजेड से अन्यून की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल में अननुसूचित विनिमय प्रभार ऐसे होंगे जो कोयला, जिसमें आयातित कोयला भी है, आधारित उत्पादन केन्द्र को नियत तथा ऊर्जा प्रभार को पूरा करने के पश्चात् ग्रिड की सहायता के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करते हों।

(ङ) तदनुसार, यूआई कीमत विक्टर '50.02 एचजेड से निम्न तथा 50.0 एचजेड से अन्यून ' तथा "49.82 एचजेड से निम्न तथा 49.80 एचजेड से अन्यून " की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल के बीच 0.02 के फ्रिक्वेंसी अंतराल के लिए स्टेप में होंगे।

(च) 49.50 एचजेड से निम्न ग्रिड फ्रिक्वेंसी पर अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभार अगस्त 2010 से जनवरी 2011 की छह मास की अवधि के लिए उत्पादन केन्द्रों के औसत उच्चतर ऊर्जा प्रभारों के आधार पर होंगे तथा उनका यूआई कीमत विक्टर पर विनिश्चय करने के लिए पर्याप्त रूप से समायोजन किया जाएगा।

(छ) तदनुसार, यूआई कीमत विक्टर '49.82 एचजेड से निम्न तथा 49.80 एचजेड से अन्यून' तथा 49.5 एचजेड से निम्न के ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल के बीच 0.02 के फ्रिक्वेंसी अंतराल के लिए स्टेप्स में होगा।

(ज) यूआई कीमत विक्टर 50.2 एचजेड से अन्यून, 50.02 एचजेड से निम्न तथा 50.0 एचजेड से अन्यून, 49.82 एचजेड से निम्न तथा 49.80 एचजेड से अन्यून तथा 49.50 एचजेड से निम्न के ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल में अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभार के तत्सथानी 50.2 एचजेड से 49.70 एचजेड के बीच 0.02 के फ्रिक्वेंसी अंतराल के लिए स्टेप्स में होगा।

(3) ईंधन के रूप में कोयला या लिग्नाइट या प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय की गई गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केन्द्रों के लिए अननुसूचित विनिमय के प्रभार की कैप दर इन विनियमों की अनुसूची क में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

(4) अनुसूची का 10% या 250 मेगावाट, जो भी कम हो, से अधिक, में विक्रेता या फायदाग्राहियों द्वारा कम निकासी के लिए अननुसूचित विनिमय की कैप दर, वैसी होगी जो इन विनियमों की अनुसूची "क" में यथा विनिर्दिष्ट '49.82 एचजेड से निम्न' तथा 49.80 एचजेड से अन्यून के ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल के तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय के प्रभारों के लिए है।

(5) किसी समय ब्लाक में केन्द्र की संस्थापित क्षमता के 105% या संपूर्ण दिन की संस्थापित क्षमता के 101% के तत्स्थानी एक्स-बस उत्पादन की सीमा के अधीन रहते हुए, अनुसूची के 120% से अधिक में क्रेता द्वारा अंतःक्षेपण के लिए अननुसूचित विनिमय की कैप दर वही होगी जो इन विनियमों की अनुसूची "क" में यथा

विनिर्दिष्ट '49.82 एचजेड से निम्न तथा 49.80 एचजेड से अन्यून' के ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल के तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय के प्रभारों के लिए है।

(6) आयोग द्वारा प्रत्येक छ मास में अननुसूचित विनिमय प्रभारों का पुनर्विलोकन किया जाएगा तथा उन्हें पुनः अधिसूचित किया जाएगा तथा इन विनियमों की अनुसूची "क" तदनुसार, पुनः अधिसूचित की जाएगी।

(7) यूनिट की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व, परीक्षण के दौरान, किसी उत्पादन केन्द्र की उत्पादन यूनिट द्वारा ग्रिड में अंतःक्षेपित इंफर्म ऊर्जा का संदाय इस विनियम की अनूसूची क में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे उत्पादन के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन की तत्स्थानी कैप दरों की उच्चतम सीमा के अधीन रहते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 में आयोग द्वारा अनुज्ञात 6 मास से अनधिक अवधि के लिए या विस्तारित समय के लिए परीक्षण के परिणामस्वरूप, ग्रिड में अंतःक्षेपित ऊर्जा के लिए यूआई दरों पर किया जाएगा।

(8) दो अतुल्यकालिक क्षेत्रों के बीच अंतर-प्रादेशिक यूआई के आदान-प्रदान के लिए प्रभारों की संगणना संबंधित प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र की फ्रिक्वेंसी के अनुसार यूआई दरों के आधार पर की जाएगी। अंतर-प्रादेशिक आदान-प्रदान के लिए तय की जाने वाली रकम ऐसे अंतर-परिवर्तन के रूप में दो क्षेत्रों के लिए संगणित यूआई प्रभारों की औसत में होगी।"

3. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधनः मूल विनियम के विनियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-

"7 यूआई मात्रा (वोल्यूम) की सीमाएं तथा सीमा लांघने के परिणाम

"(1) समय ब्लाक के दौरान किसी फायदाग्राही या क्रेता द्वारा विद्युत की अधिक निकासी उसकी अनुसूचित निकासी या 150 मेगावाट जो भी कम हो, के 12% जब फ्रिक्वेंसी '49.80 एचजेड' है तथा सभी समय ब्लाकों के लिए दैनिक कुल आधार 3%, जब फ्रिक्वेंसी '49.80 एचजेड' है, से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः इस खंड में विनिर्दिष्ट सीमाएं राज्य में सभी अंतःराज्यिक इकाईयों, जिसमें वितरण कंपनियां तथा अन्य अतःराज्यिक विक्रेता भी हैं, द्वारा संपूर्ण अधिक निकासी को लागू होगी तथा संबंधित राज्य की अंतर-राज्यिक सीमाओं को लागू होंगी।

(2) उत्पादन केन्द्र या विक्रेता द्वारा विद्युत का अंडर इंजेक्शन ऐसे उत्पादन केन्द्र या विक्रेता के अनुसूचित इंजेक्शन, जब फ्रिक्वेंसी 49.80 एचजेड से कम हो , के 12% तथा सभी समय ब्लाकों के लिए जब फ्रिक्वेंसी '49.80 एचजेड से कम' हो, दैनिक कुल आधार पर 3% से अधिक नहीं होगी।

(3) इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन अनुबद्ध अननुसूचित विनिमय के अतिरिक्त, प्रत्येक समय ब्लाक के लिए, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो, विद्युत की अधिक निकासी या अंडर-इंजेक्शन के लिए इस विनियम के खंड (3क) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार इन विनियमों की अनुसूची क में विनिर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार लागू होंगे:

परंतु यह कि उस समय-ब्लक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.7 एचजेड से कम' हो, ईंधन के रूप में कोयला या लिग्नाइट या प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय की गई गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केन्द्र द्वारा विद्युत के अंडर-इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार इस विनियम के खंड (3ख) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार इन विनियमों की अनुसूची "क" में विनिर्दिष्ट दरों पर होंगे।

स्पष्टीकरण: अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार किसी एक क्षेत्र द्वारा किसी अन्य क्षेत्र से संपूर्ण रूप् से कुल अधिक निकासी, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.7 एचजेड से कम' हो, को लागू नही होंगे।

(4) प्रत्येक समय ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.7 एचजेड से कम' हो, के लिए विद्युत की अधिक निकासी और अडर-इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार ग्रिड अनुशासन के मद्दे क्रेता तथा फायदाग्राहियों और विक्रेता तथा उत्पादन केन्द्रों के स्वभाव पर सम्यक रूप से ध्यान रखते हुए '49.5 एचजेड से निम्न' ग्रिड फ्रिक्वेंसी में अननुसूचित विनिमय के प्रभारों के रूप् में आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होंगे:

परंतु यह कि आयोग अधिक निकासी और अंडर इंजेक्शन तथा 49.7 एचजेड से निम्न फ्रेक्वेंसी की विभिन्न रेंजों के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभारों हेतु विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(5) ईंधन के रूप में कोयले या लिग्नाइट या प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय की गई गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केन्द्रों द्वारा, उस समय ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो, के दौरान विद्युत के अंडर-इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार ग्रिड अनुशासन के मद्दे उत्पादन केन्द्रों के स्वभाव पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात कैप दर की प्रतिशतता के रूप में आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे:

72 GI/12-2

परंतु यह कि आयोग '49.7 एचजेड से निम्न' फ्रेक्वेंसी की विभिन्न रेंजों पर अंडर-इंजेक्शनों के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभारों हेतु विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(6) विनियम 5 के अधीन अननुसूचित विनिमय प्रभारों तथा उपरोक्त विनियम 7(3) के अधीन अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभारों का संदाय किसी ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उदग्रहीत किए जाएंगे जो ऐसे प्रत्येक समय ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.80 एचजेड से कम' हो, के लिए इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अधिक निकासी या कम उत्पादन की सीमाओं के अतिलघंन के लिए अधिनियम की धारा 142 के अधीन आयोग द्वारा समुचित समझे जाएं।

(7) आयोग, यदि आवश्यक समझे, समय-समय पर ऐसे प्रत्येक समय-ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.80 एचजेड से कम' हो, '49.7 एचजेड तक' हो, के दौरान विद्युत की अधिक निकासी या अंडर-इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार विहित कर सकेगा।

(8) विद्युत की अधिक निकासी/अंडर-इंजेक्शन तथा कम निकासी/अधिक इंजेक्शन के लिए प्रभारों की संगणना संबंधित प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा "प्रादेशिक ऊर्जा लेखाओं" को तैयार करने के लिए प्रयुक्त पद्धति के अनुसार की जाएगी।

(9) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र, मासिक आधार पर, यूआई लेखाओं के अभिलेखों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा जिसमें अधिक निकासी/कम उत्पादन की मात्रा तथा प्रत्येक फायदाग्राही या क्रेता के लिए संदत्त तथा ऐसे समय ब्लाक, जब फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड थी तथा पृथक रूप से 49.80-49.7 एचजेड के बीच थी, के लिए प्रत्येक उत्पादन केन्द्र या विक्रेता के लिए प्राप्त यूआई प्रभारों की तत्स्थानी रकम विनिर्दिष्ट होंगे।

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/11/असा.]

टिप्पणी : मुख्य विनियम, 3 मार्च, 2009 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में सं. 43 के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित हुए थे और मुख्य विनियम में प्रथम संशोधन भारत के राजपत्र (असाधारण) में सं. 114 के भाग III, खण्ड 4 में दिनांक 28 अप्रैल, 2010 को प्रकाशित किया गया।

अनुसूची 'क'

1. **अननुसूचित विनिमय (यूआई) प्रभार**

विनियम 5 के खंड (1) के अनुसार, क्रेता या फायदाग्राही द्वारा अधिक निकासी तथा उत्पादन केन्द्र या विक्रेता द्वारा अंडर-इंजेक्शन के लिए संदेय और क्रेता या फायदाग्राही द्वारा कम निकासी और उत्पादन केन्द्र या विक्रेता द्वारा अधिक इंजेक्शन के लिए प्राप्य सभी समय-ब्लाकों के लिए अननुसूचित विनिमय हेतु प्रभारों को नीचे दी गई दरों पर समय-ब्लाक के औसत फ्रिक्वेंसी पर तय किया जाएगा।

समय ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी (एचजेड)		यूआई दर
निम्नलिखित से नीचे	निम्नलिखित से अन्यून	(पैस प्रति केडब्ल्यूएच)
	50.20	0.00
50.20	50.18	16.50
50.18	50.16	33.00
50.16	50.14	49.50
50.14	50.12	66.00
50.12	50.10	82.50
50.10	50.08	99.00
50.08	50.06	115.50
50.06	50.04	132.00
50.04	50.02	148.50
50.02	50.00	165.00
50.00	49.98	193.50
49.98	49.96	222.00
49.96	49.94	250.50
49.94	49.92	279.00
49.92	49.90	307.50
49.90	49.88	336.00

49.88	49.86	364.50
49.86	49.84	393.00
49.84	49.82	421.50
49.82	49.80	450.00
49.80	49.78	478.13
49.78	49.76	506.25
49.76	49.74	534.38
49.74	49.72	562.50
49.72	49.70	590.63
49.70	49.68	618.75
49.68	49.66	646.88
49.66	49.64	675.00
49.64	49.62	703.13
49.62	49.60	731.25
49.60	49.58	759.38
49.58	49.56	787.50
49.56	49.54	815.63
49.54	49.52	843.75
49.52	49.50	871.88
49.50		900.00

(प्रत्येक् 0.02 स्टेप 50.2-50.00 एचजेड फ्रिक्केंसी रेंज में 16.50 पैसे/केडब्ल्यूएच, 50 एचजेड से 49.8 एचजेड में 28.50 पैसे/केडब्ल्यूएच तथा 49.8 एचजेड से 49.5 एचजेड से रेंज से निम्न फ्रिक्केंसी में 28.12 पैसे/केडब्ल्यूएच के समकक्ष है।)

2. **अननुसूचित विनिमय कैप दरें:**

(क) विनियम 5 के खंड (1) तथा (3) के अनुसार, कोयले या लिग्नाइट या ईंधन के रूप में प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय की गई गैस का उपयोग करने वाले सभी उत्पादन केन्द्रों के लिए यूआई कैप दर 421.50 पैस/केडब्ल्यूएच होगी यदि जब वास्तविक उत्पादन उन्नतर हो या अनुसूचित उत्पादन से कम हो।

(ख) विनियम 5 के खड (1) तथा (6) के अनुसार, अनुसूची के 10% से अधिक या 250 मेगावाट, जो भी कम हो, क्रेता या फायदाग्राहियों द्वारा कम निकासी के लिए यूआई कैप दर 450.00 पैसे/केडब्ल्यूएच होगी।

(ग) विनियम 5 के खंड (1) तथा (7) के अनुसार, किसी समय ब्लाक में केन्द्र की संस्थापित क्षमता के 105% तथा संपूर्ण दिन संस्थापित क्षमता के 101% की तत्स्थानी एक्स-बस उत्पादन की सीमाओं के अधीन रहते हुए, अनुसूची के 120% से अधिक में विक्रेता द्वारा इंजेक्शन के लिए यूआई कैप दर 450.00 पैसे /केडब्ल्यूएच होगी।

(घ) विनियम 5 के खंड (1) के अनुसार, किसी समय ब्लाक में केन्द्र की संस्थापित क्षमता के 105% के अधिक में या संपूर्ण दिन की औसत घोषित क्षमता के 110% के अधिक में हाइड्रो उत्पादन केन्द्र से भिन्न उत्पादन केन्द्र द्वारा इंजेक्शन के लिए यूआई कैप दर 165.00 पैसे/केडब्ल्यूएच होगी।

(ङ) विनियम 5 के खंड (1) के अनुसार, एक समय ब्लाक में केन्द्र की संस्थापित क्षमता के 105% या संपूर्ण दिन में संस्थापित क्षमता के 101% की तत्स्थानी एक्स-बस उत्पादन के अधिक में विक्रेता द्वारा अंतःक्षेपण के लिए यूआई कैप दर 165.00 पैसे केडब्ल्यूएच होगी जो इन विनियमों की अनुसूची "क" में यथाविनिर्दिष्ट कैप दर से अधिक नहीं होगी।

(च) विनियम 5 के खंड (7) के अनुसार, यनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व परीक्षण कमीशनिंग के दौरान उत्पादन केन्द्र की यूनिट द्वारा ग्रिड में अंतःक्षेपित इंफर्म ऊर्जा के लिए कैप दरें उत्पादन के लिए प्रयुक्त ईंधन की तत्स्थानी निम्नानुसार होंगीः-

स्वदेशी कोयला/लिग्नाइट/हाइड्रो (रूपए/केडब्ल्यूएच भेजी गई)	:	1.65
ईंधन के रूप में एपीएम गैस (रूपए/केडब्ल्यूएच भेजी गई)	:	2.60
आयातित कोयला/आरएलएनजी (रूपए/केडब्ल्यूएच भेजी गई)	:	3.30
द्रव ईंधन (रूपए/केडब्ल्यूएच भेजी गई)	:	9.00

922 GI/12-3

3. अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार

(क) विनियम 7 के खंड (4) के अनुसार, प्रत्येक समय ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो तथा 49.5 एचजेड से अन्यून हो, के लिए विद्युत की अधिक निकासी के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार 49.5 एचजेड से निम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय प्रभार के 20% के समतुल्य होंगे। प्रत्येक समय ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी " 49.7 एचजेड से कम हो, तथा 49.5 एचजेड से अन्यून हो के लिए अंडर-इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार "49.5 एचजेड से निम्न की तत्स्थानी ग्रिड फ्रिक्वेंसी के अननुसूचित विनिमय प्रभार के 20% के समकक्ष होंगे:

परंतु यह कि प्रत्येक समय ब्लाक जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.5 एचजेड से कम' हो तथा '49.2 एचजेड तक' हो, के लिए विद्युत की अधिक निकासी के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय दर '49.5 एचजेड से निम्न' ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय प्रभार 900.00 पैसे/केडब्ल्यूएच के 40% के समकक्ष होगी। प्रत्येक समय ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.5 एचजेड से निम्न' तथा '49.2 एचजेड तक' हो, के लिए विद्युत के अंडर-इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार '49.5 एचजेड से निम्न' की ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तस्थानी 900.00 पैसे /केडब्ल्यूएच के अननुसूचित विनिमय प्रभार के 40% के समकक्ष होंगे।

परंतु यह कि प्रत्येक समय-ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.2 एचजेड से निम्न' हो, के लिए विद्युत की अधिक निकासी के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार '49.5 एचजेड से निम्न' ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी 900.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के अननुसूचित विनिमय दर के 100% के समकक्ष होंगे। प्रत्येक समय-ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.2 एचजेड से कम हो, के लिए विद्युत के अडर-इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार '49.5 एचजेड से निम्न' की ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी 900.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के अननुसूचित विनियम प्रभार के 100% के समकक्ष होंगे:

(ख) विनियम 7 के खंड (4) के अनुसार, ईंधन के रूप में कोयला या लिग्नाइट या प्रशासित कीमत तंत्र के अधीन प्रदाय की गई गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केन्द्रों हेतु ऐसे समय-ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो तथा 49.5 एचजेड तक हो, के दौरान विद्युत के अंडर इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार 421.50 पैसे/केडब्ल्यूएच की यूआई कैप दर के 20% के समकक्ष होंगे:

परंतु यह कि ईंधन के रूप में कोयला या लिग्नाइट या प्रशासित कीमत तंत्र के अधीन प्रदाय की गई गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केन्द्रों के लिए उस समय ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी '49.5 एचजेड से कम' हो, के दौरान विद्युत के अंडर इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार 421.50 पैसे/केडब्ल्यूएच की यूआई कैप दर के 40% के समकक्ष होंगे।